



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-602/JH/8/2022-SSW

दिनांक: 08/07/2026

सेवा मे,

अध्यक्ष

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग
नई दिल्ली - 110002 (दिल्ली)
ईमेल: cm.ugc@nic.in

विषय: डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर सीधी भर्ती में ST उम्मीदवार की नियुक्ति न होने के संबंध में - डॉ. कोंचोक ताशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ झारखंड, रांची का 01.09.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ याचिकाकर्ता के दिनांक 01.09.2022 का पत्र।
एनसीएसटी नोटिस दिनांक 21.10.2022

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **16.07.2026 को 11.15 Hrs** बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)

अवर सचिव / Under Secretary

ई-मेल: ru4-hq@ncst.nic.in

Ph. No. 011-24645826

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

डॉ. कोंचोक ताशी

सहायक प्रोफेसर, सुदूर पूर्व भाषा विभाग,
झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, चेरी-मनातू
रांची, झारखंड - 835222
मोबा नं- 7631100899

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading